



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब0/399/2025 दिनांक : 26/09/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
सभी सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय:- मा० उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका संख्या 3177/2025 सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2025 के अनुपालन में छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कोचिंग सेंटर विनियमों के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 2505/सत्तर-3-2025-70-3005(001)/2/2025 दिनांक 19 सितम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2025 के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छात्र मानसिक स्वास्थ्य तथा कोचिंग सेंटर विनियमों की निगरानी एवं कार्यान्वयन हेतु समिति का गठन किया गया है।

अतः शासन द्वारा जारी उक्त पत्र में वर्णित सभी बिन्दुओं का गहन अध्ययन करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:- यथोपरि।

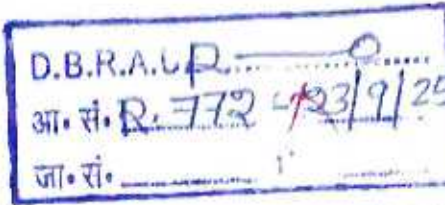
भवदीय,


(अजय मिश्रा)
पी.सी.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रभारी-कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समस्त निदेशक, प्रभारी एवं विभागाध्यक्ष, आवासीय इकाइयों।
4. प्रभारी-वेबसाइट, इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिकृत एजेंसी, इस आशय से कि उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन आईडी पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल।


(अजय मिश्रा)
पी.सी.एस.
कुलसचिव



संख्या-2505 /सत्तर-3-2025-70-3005(001)/2/2025

प्रेषक,

दीपक कुमार
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

Registrar
21/09/25

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पशुधन विभाग, न्याय विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, खेलकूद विभाग, संस्कृति विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

5- निदेशक उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।

6- समस्त जिलाविद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र०।

9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2025

विषय:- मा० उच्चतम न्यायालय में योजित CRI. A No. 3177/2025 सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2025 के अनुपालन में छात्र मानसिक स्वास्थ्य तथा कोचिंग सेंटर विनियमों की निगरानी एवं कार्यान्वयन करने हेतु समिति का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० उच्चतम न्यायालय में योजित CRI. A No. 3177/2025 सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई 2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन में छात्र मानसिक स्वास्थ्य तथा कोचिंग सेंटर विनियमों की निगरानी एवं कार्यान्वयन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

psw/PR/AM/1/2025
समस्त जिलाविद्यालय
को पत्राचार
25/9/25
मुख्य सचिव

328
23/9/25

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा जिला अस्पताल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक	सदस्य
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो पुलिस उपाधीक्षक पद से निम्न न हो	सदस्य
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	सदस्य
मानसिक स्वास्थ्य के 02 सदस्य सामाजिक विधिवेत्ता (जिसमें से एक महिला भी हो)	सदस्य
राष्ट्रीय टास्क फोर्स से नोडल अधिकारी	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव

3- समिति का कार्य/दायित्व निम्नवत् होगा:-

- (1) मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित CRI. A No. 3177/2025 सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई 2025 के अनुपालन में उक्त समिति जिला स्तर पर समस्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर, छात्रावासों द्वारा UMMEED गाइडलाइन के दिशानिर्देशों, MANODARPAN पहल और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति का आत्मसात एवं अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- (2) समिति द्वारा कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदनों की जांच करेगी तथा यह सत्यापित करेगी कि मानसिक स्वास्थ्य नीतियां, परामर्शदाता नियुक्तियां और सुरक्षा आवश्यकताएं, छात्रावासों एवं आवासीय परिसरों में tamper-proof ceiling fans, पर्याप्त स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा आदि पूर्ण हो तथा सक्षम अधिकारी को पंजीकरण की स्वीकृति/अस्वीकृति की सिफारिश करेगी। दिव्यांगजन छात्रों के लिए दिव्यांगजन हितैषी मानकों को सम्मिलित किया जाय जैसा कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन्स 2020 में प्राविधानित किया गया है।
- (3) समिति मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों, परामर्शदाता अनुपात, प्रशिक्षण, बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र के अनुपालन की पुष्टि के लिए प्रत्येक पंजीकृत कोचिंग सेंटर और आवासीय शिक्षण संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर औचक निरीक्षण भी किया जायेगा।

- (4) छात्रों, अभिभावकों, कर्मचारियों या मुखबिरों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक छात्र सुरक्षा हेल्पलाइन (टेलीफोन, ईमेल और ऑनलाइन पोर्टल) स्थापित किया जायेगा।
- (5) परामर्शदाताओं, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रावास वार्डनों के लिए प्राथमिक उपचार, चेतावनी संकेतों की पहचान और रेफरल तंत्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय किया जायेगा।
- (6) पंजीकृत कोचिंग केंद्रों, परामर्शदाताओं की नियुक्तियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, छात्रों की आत्महत्या या आत्म-क्षति की घटनाओं, प्राप्त शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई पर जिला-स्तरीय डेटा संग्रह किया जायेगा तथा उच्च स्तर पर मांगे जाने पर डाटा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) जिला स्तरीय समिति का आदेश निर्गत होने के उपरान्त 15 दिनों के भीतर समिति अपनी पहली बैठक आयोजित करेगी और बैठक का कार्यवृत्त जिला प्रशासन की वेबसाइट पर दर्ज और प्रकाशित करायेगी।
- (8) निरीक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डाटा और वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में डाटा ANONYMISE किया जाय, ताकि रोगियों की गोपनीयता बनी रहे। डेटा संग्रहण के दौरान समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय तथा कोचिंग द्वारा जिला समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4- मा0उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका सं0-CRI. A No. 3177/2025 सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई 2025 के अनुपालन में समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय/राजकीय महाविद्यालय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय/समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/पंजीकृत कोचिंग द्वारा छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम रणनीति हेतु निम्नलिखित गाइड लाइन संदर्भित की जा रही हैं:-

(1)- मानसिक स्वास्थ्य नीति(Mental Health Policy)- प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एक एकरूप मानसिक स्वास्थ्य नीति तैयार कर उसे वार्षिक रूप से अद्यतन करेंगे। यह नीति UMMEED मसौदा दिशानिर्देश, मनो-दर्पण पहल तथा राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति से प्रेरित होगी। इसे संस्थान की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) परामर्शदाता की उपलब्धता (Counsellors)-

- 100 या 100 से अधिक नामांकित छात्रों वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा बाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य में प्रमाणित प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम

एक योग्य परामर्शदाता, मनोचिकित्सक या सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की जायेगी।

- इस व्यवस्था का अनुपालन संस्थान द्वारा क्षमता-निर्माण उपायों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें उपलब्ध कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं पुनःस्थापन तथा संस्थागत निधियों अथवा केन्द्र/राज्य योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रासंगिक बजटीय प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा।
- जिन संस्थानों में 100 से कम छात्र नामांकित हैं, वे अंशकालिक/आगंतुक परामर्शदाताओं की सेवाएँ लेकर अथवा मान्यता प्राप्त बाहरी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ औपचारिक रेफरल व्यवस्था स्थापित कर इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय तथा स्व वित्तपोषित महाविद्यालय एवं कोचिंग संस्थान इस व्यवस्था को अपने स्वयं के संसाधनों से सुनिश्चित करेंगे।
- संस्थानों में त्वरित चिकित्सा का प्रबंध उपलब्ध हो।

(3)- भेदभाव-निषेध एवं अकादमिक दबाव-

- किसी भी प्रकार का बैच विभाजन, सार्वजनिक अपमान, अथवा अत्यधिक शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारण प्रतिबंधित होगा।
- सभी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्र जाति, लिंग, वर्ग, दिव्यांगता, यौन पहचान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार न हों।

(4)- हेल्पलाइन एवं आपातकालीन सहायता-

- प्रत्येक परिसर, कक्षाओं, छात्रावासों एवं सामान्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्महत्या हेल्पलाइन (Tele-MANAS) तथा राज्य/जिला स्तर की हेल्पलाइन का स्पष्ट प्रदर्शन किया जाएगा। Tele-MANAS के हेल्पलाइन नम्बर-14416 तथा 18008914416 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
- प्रत्येक संस्थान लिखित प्रोटोकॉल बनाएगा जिसके अंतर्गत संकट की स्थिति में तुरंत रेफरल स्थानीय अस्पतालों एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को किया जाएगा।

(5)- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:-

- शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कार्मिकों को वर्ष में कम से कम दो बार प्रशिक्षित किया जाएगा।
- प्रशिक्षण विषयों में Psychological First Aid, खतरे के संकेत पहचानना, आत्म-हानि या आत्महत्या प्रवृत्ति पर प्रतिक्रिया तथा रेफरल व्यवस्था सम्मिलित होंगे।

- समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण, शिकायत निवारण एवं त्रैमासिक रिपोर्टिंग में संस्थानों को आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(12)- दंडात्मक प्रावधान

- यदि कोई संस्थान उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो यू0जी0सी0/आर0सी0आई0 आदि नियामक संस्थाओं द्वारा समस्त-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही एवं कोचिंग के विरुद्ध पंजीकरण निलंबन, नवीनीकरण पर रोक अथवा अन्य नियामक कार्रवाई की जा सकती है।
- गंभीर लापरवाही की स्थिति में संस्थान को उत्तरदायी माना जाएगा।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित CRI. A No. 3177/2025 सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई 2025 में निर्धारित समस्त बिन्दुओं का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायगा तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों एवं कोचिंग सेंटर द्वारा उक्त गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा जिला स्तरीय समिति निर्धारित गाइडलाइन के क्रम में कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-यथोक्त

Digitally signed by
DEEPAK KUMAR

Date: 18-09-2025

(~~18/09/2025~~ 18/09/2025) कुमार)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- कुल सचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपने माध्यम से।
- 6- गार्डफाइल।

आज्ञा से
Digitally signed by
MAHEMBA PRASAD CRAWAL
(~~18/09/2025~~ 18/09/2025) अग्रवाल

प्रमुख सचिव



2025 INSC 893

REPORTABLE
IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL NO(S). OF 2025
(Arising out of SLP (Crl.) No (s). 6378 of 2024)

SUKDEB SAHA **....APPELLANT(S)**

VERSUS

THE STATE OF ANDHRA
PRADESH & ORS. **....RESPONDENT(S)**

J U D G M E N T

Mehta, J.

Table of Contents

I. INTRODUCTION	2
II. PART A:	10
(i). Facts of the Case: -	10
(ii). Submissions on behalf of the Appellant: -	16
(iii). Submissions on behalf of the Respondents: -	23
(iv). Discussion & Analysis: -	27
(v). Conclusion: -	42
III. PART B:	44
(i) Background: -	44